न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 238/2005/दावा

1 तेजाराम पुत्र पोखरमल जाति जाट निवासी बुबाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– वादी

बनाम

1 लालदास पुत्र जवाहरदास जाति स्वामी निवासी मंण्ढा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

2 सुदरदास पुत्र जवाहरदास (मृतक)

2/1. नौरती देवी पुत्री जवाहरदास पत्नि गोपालदास जाति स्वामी निवासीनी मंण्डा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर, हाल आबाद पतिगृह ग्राम मूण्डगसोई तहसील नांवा जिला नागौर।

3 हनुमानदास पुत्र जवाहरदास जाति स्वामी निवासी मंण्डा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

4 उप–पंजीयक महोदय, दांतारामगढ जिला सीकर।

5 तहसीलदार महोदय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती प्रसारणार्थ

उपस्थिति–

1. श्री शिवपालसिह वकील वादी की ओर सें।

2. श्री भवंरसिंह शेखावत वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से।

निर्णय **दिनांक – 09.07.2021**

1 वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के पूर्वजों के समय से कब्जे, काश्त व स्वामित्व की भूमियां खसरा नम्बर 207, 208, 209, 222, 223, 226, 227, 228, 216 किता 9 कुल रकबा 9.22 है0 वाके ग्राम बुबाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त विवादित भूमियों की

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ़

खातेदारी पूर्व में प्रतिवादीगण के पूर्वज स्वर्गीय जवाहरदास के नाम से दर्ज थी जिसका बेचाननामा जवाहरदास व उसके पिता सुखरामदास ने वादी के पिता व दादा स्वर्गीय कुशलाराम, पोखरराम के पक्ष में एक आठ आना के स्टाम्प पर कर दिया। जब भी वादी एवं वादी के पूर्वज चाहेगें, रजिस्ट्री करवा लेगें जिसके कुछ समय बाद ही सुखरामदास की मृत्यु हो गई। जवाहरदास की मृत्यु के बाद विवादित भूमियों की खातेदारी जवाहरदास के वारिशान क्रमशः लालदास, चेतनदास, मोहनदास, सुन्दरदास, हनुमानदास के नाम हो गई। जिनमें से चेतनदास, मोहनदास की ना–औलाद मृत्यु हो गई और उनके वारिस प्रतिवादीगण ही है। विवादित भूमियों पर पूर्व में कब्जा, काश्त वादी के दादा स्व0 कुशलाराम उनकी मृत्यु के बाद वादी के पिता पोखरराम का और वादी का अपने पिता के दादा के जीवन काल से ही कब्जा व काश्त चला आ रहा है तथा विवादित भूमियों की खसरा गिरदावरियां भी वादी उसके दादा व उसके पिता के नाम से दर्ज है। वादी द्वारा कहने पर प्रतिवादीगण वादी को आश्वासन देते रहे कि हम विवादित भूमियां आपके नाम करवा देंगे। लेकिन विगत कुछ दिनों से प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी आ गयी. तथा दिनांक 30.11.2005 को प्रतिवादी संख्या 3 अजनबी व्यक्तियों के साथ एक गाड़ी लेकर आये तथा उपरोक्त भूमियों को दिखा कर विक्रय का सौदा करने की बात करने की बात करने लगे। अगर प्रतिवादीगण अपने कु–उद्देश्य में सफल हो जांयेंगे तो वादी के वैध अधिकारों पर भारी आघात होगा। जिसकी क्षति–पूर्ति कानून द्वारा किया जाना सम्भव नही है। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना उचित आवश्यक एवं न्याय संगत है। वाद कारण दिनांक 30.11.2005 को प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमियों पर बलात कब्जा कर विक्रय करने की धमकियां देन पर उत्पन्न हुआ जो क्षण–प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः वादी अन्त में वाद प्रस्तुत कर यह इस्तदुआ चाही कि खसरा नम्बर 207, 208, 209, 222, 223, 226, 227, 228, 216 किता 9 कुल रकबा 9.22 है0 वाके ग्राम बुबाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की खातेदारी में से प्रतिवादीगण का नाम हजफ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

किया जाकर वादी को काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती के आदेश पारित किया जाना न्याय संगत है तथा वादीगण के नाम खातेदारी की उद्घोषणा होने तक प्रतिवादीगण को उक्त संयुक्त संपदा को किसी भी प्रकार से खुर्दबुर्द कर वादी के उपयोग-उपभोग में दखलंदाजी करने आदि से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे।

2. वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से वकील श्री भंवरसिंह शेखावत हाजिर आये। शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 तथा अन्य चैनसिंह पुत्र फतेहसिंह व ईश्वरसिंह पुत्र बच्चनसिंह ने शपथ-पत्र पेश किये। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने राजीनामा पेश किया। जिसमे कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या एक ता तीन के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है जिसके अनुसार प्रतिवादीगण विवादित भूमियों को सदैव से ही वादी के हक आधिपत्य की भूमियां मान्य करते है। वादग्रस्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में वर्तमान में अंकित इन्द्राजात को हजफ किया जाकर वादी को विवादित भूमियों का काबिज खातेदार/काश्तकार उद्घोषित किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपति ऐतराज नहीं है बल्कि पूर्ण सहमति है। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। राजीनामा तस्दीक किया गया। वादी स्वयं एवं प्रतिवादीगण तथा अन्य गवाह ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तोजात पर प्रदर्श संख्या 1 लगायत 12 कायम किये गये। वादपत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण की वाद में सहमति के आधार पर वादी का वाद प्रथम दृष्टया स्वीकार होने योग्य है। प्रतिवादीगण की सहमति पर तथा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

जाकर वाद में उद्घोषणा इस प्रकार की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 207, 208, 209, 222, 223, 226, 227, 228, 216 किता 9 कुल रकबा 9.22 है0 वाके ग्राम बुबाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की खातेदारी में से प्रतिवादीगण एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज सम्पूर्ण खातेदारों का नाम हजफ किया जाकर वादी तेजाराम को एंकाकी काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। डिक्री जारी हो। तहसीलदार दांतारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निर्णय की पालना कर न्यायायय को पालना सें अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

तेजाराम बनाम लालदास आदि

दावा बाबत उद्घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 238 / दावा सन् 2005 निर्णय दिनांक. 09.07.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार आर.ए.एस** बहाजरी **श्री शिवपालसिंह** मिनजानिब मुददई व श्री भंवरसिंह शेखावत मिनजानिब मुददालह पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की ओर सें पेश राजीनामे के आधार पर अंतिम डिक्री इस प्रकार सें जारी की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 207, 208, 209, 222, 223, 226, 227, 228, 216 किता 9 कुल रकबा 9.22 है0 वाके ग्राम बुवाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की खातेदारी में से प्रतिवादीगण एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज सम्पूर्ण खातेदारों का नाम हजफ किया जाकर वादी तेजाराम को एंकाकी काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निर्णय की पालना कर न्यायालय को पालना सें अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.07.2021 को जारी की गई।

मोहर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी ...		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा ...	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ़